न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या– 370/2016(राजस्व वाद) दायर दिनांक – 15.7.2016
फैसल दिनांक – 10/9/2025

अनवान

1–श्री वालजी पिता रतना मीणा जाति भील उम्र बालिंग निवासी भीलुडा
2–श्री वजा पिता रतना मीणा जाति भील उम्र बालिंग निवासी भीलुडा
3–श्री रूपा पिता थाना मीणा जाति भील उम्र बालिंग निवासी भीलुडा
4–श्री रामा पिता थाना मीणा जाति भील उम्र बालिंग निवासी भीलुडा
5–श्री पेमा पिता थाना मीणा जाति भील निवासी भीलूडा के विधिक प्रतिनिधि –
5/1– श्रीमती धूली बेवा पेमा मीणा
5/2– श्री विरमल पिता पेमा मीणा
5/3– श्री रामसन उर्फ रामचन्द्र मीणा
6–श्री धनजी पिता थाना मीणा जाति भील उम्र बालिंग निवासी भीलूडा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– श्री मानशंकर पिता दूर्गाशंकर जाति ब्राहमण उम्र व्यस्क निवासी भीलुडा।
2– श्री निरज पिता हरीशंकर भट्ट जाति ब्राहमण उम्र व्यस्क निवासी भीलुडा।
3– श्री वक्ता पिता मावा मीणा जाति भील निवासी भीलुडा
4– श्री हिरा पिता मावा मीणा, जाति भील निवासी भीलूडा तहसील सागवाडा
5– श्री भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री अशोककुमार कंसारा
वकील प्रतिवादीगण– श्री मयंक दोसी

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 41,42,42(ख),88,188,209राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित पीढीनामा के सअनुसार वादी संख्या 1 व 2 के दादा व वादी संख्या 3 से 65 के पिता स्व0 थाना पिता धूला व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता स्व0 मावा पिता धूला भीलूडा के रहने वाले थे । वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 मूल धूला की संताने है तथा धूला की दो सन्ताने हुई जिसमें स्व0 थाना व मावा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज

उत्पन्न हुए।स्व0 थाना की सन्तान रतना ,रूपा,रामा,पेगा ,धनजी तथा रतना फौत होने से वालजी व वजा रहे।स्व0मावा के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वारीस रहे । वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित स्व0 थाना व मावा पिसरान धूला भील निवासी भीलूडा के स्वामित्व व कब्जेदारी के 15 खेत मोजा भीलूडा के संवत 2001 से 2010 की खतौनी में उनके नाम से दर्ज होकर उन खेतों का कुल रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा एवं खाता नम्बर 371 था ।

यह कि वादीगण नम्बर 1 से 6 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के पिता थाना व मावा भाई होने से उक्त खसरे की आराजी में उस समय थाना व मावा दोनो भाईयों के बिच खेतों का आपसी बंटवारा हो गया था जिससे वादी नम्बर 1 से 6 के पिता थाना व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता मावा दोनो अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते रहे जिसमें थाना व उसके वारीस अपने हिस्से की आराजी खाता नम्बर 371 के खसरा नम्बर 664,665,666,व 667 पर काश्त करते आ रहे है।

सन् 2012 में पता चला कि उक्त खाते के खसरा नम्बर 664,665,666,667 प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता दूर्गाशंकर के नाम से दर्ज है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 मिलकर प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा उपखण्ड न्यायालय में पेश किया तथा उस दौरान वादीगण नम्बर 1 से 6 ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बाड माह जून सन 2015 में लगा रहे थे तब प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण के विरूद्ध 107–151 जा0फौ0 की कार्यवाही की तथा साथ में एक दस्तावेज बेचाननामा उक्त आराजीयात 664,665,666,667 का सन 1956 का पेश कर वादीगण को उक्त खेतों से पुलिस मदद से बेदखल किया तथा दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हुआ ।

वादीगण नम्बर 1 से 6 को उक्त रजिस्ट्री से ज्ञात हुआ कि थाना ने अपने हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री बेचान की वह बेचाननामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद का है तथा काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति ने सवर्ण को सन 1956 में बेचान का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम खूल चुका है ।

यह कि काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ इसके बाद उक्त खसरे की रजिस्ट्री अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कर देने से उक्त सन 1956 में किया गया विक्रय अन्तरण शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होकर अवैद्ध है तथा नामान्तरकरण प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता के बाद उसके वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में खूल चुका है वह भी अवैद्ध व निरस्तनीय होकर शून्य है । यह कि उक्त विक्रय पत्र के बाद भी जो उल्लंघन हुआ उसकी विधि मान्य होने की घोषणा निहित सूय में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

होने से उक्त विक्रय विलेख प्रतिवादी नंबर 1 के पिता दुर्गाशंकर के हक में किया गया शून्य व निष्प्रभावी है ।

यह कि आराजी संवत 2001 से 2010 की खतौनी में धूला के बाद उसके वारिस थाना व मावा के नाम संयुक्त खाता खूला तथा संवत 2022 के फर्द तुलनात्मक के खसरे का विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 8 व फर्द तुलनात्मक 2022 के बाद संवत 2029 में नये नम्बर रहे जो वाद पत्र की कलम संख्या 9 में वर्णित है। यह कि वादीगण नंम्बर 1 से 6 के पिता व दादा थाना से सन 1956 में प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता दूर्गाशंकर ने तत्कालिन खसरा की 3बीघा 17 बिस्वा आराजी क्रय कर ली जिसका फर्द तुलनात्मक वाद पत्र की कलम संख्या 8 व 9 में वर्णित है जिसके हाल खसरा नम्बर 1051,1052,1048,1068 की कुल 2 बीघा 14 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके पिता गैर अनूसुचित जन जाति के सदस्य होने पर गलत तरीके से उनके खाते में दर्ज हो गई है।

यह कि उक्त खसरे में सें प्रतिवादी नंबर 1 ने खसरा नम्बर 1068 रकबा 0. 14बिस्वा जमीन प्रतिवादी नंबर 2 निरज को बेचान दिनांक 10.4.2013 को इजरिये रजिस्टर्ड बेनामा से कर द विह भी अंतरण विलेख प्रतिवादी नंबर 1 का प्रतिवादी नंबर 2 के हक में किया गया वह वादीगण के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है । उक्त हस्तान्तरण शूरू से ही अवेद्ध व शून्य होने से प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक नही होने से सन 1956 व 2013 मे दोनो विक्रय विलेख व नामान्तरकरण शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त आराजीयात को प्रतिवादी बेचान कर देंगे या आबादी में संपरिवर्तन कर देंगे जिससे प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

वादीगण ने वाद के अन्त में बताया कि वादीगण वादग्रस्त जमीन पर काबिज थे ,जून 2015 में प्रतिवादी नंबर 1 ने पुलिस मदद से वादीगण को बेदखल करने से प्रतिवादी क्रय शुदा जमीन अपनी बताने व उक्त हस्तान्तरण शुरू से ही शुन्य व अवेद्ध होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है, अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर 1051,1052,1048,1068 मोजा मीलूडा का हस्तान्तरण शून्य व निष्प्रभावी होने से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की उक्त आराजीयात का हस्तान्तरण व नामान्तरकरण शून्य घोषित किया जावे एवं वादीगण को वादग्रस्त जमीन का कब्जा दिलाया जाने , प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाने का निवेदन किया गया है।

वादी ने वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ दस्तावेज जमाबन्दी,नक्षा ट्रैस, खतोनी आसामीवार ,फर्द तुलनात्मक ,दस्तावेज विक्रय पत्र ,खतौनी बन्दोवस्त , दस्तावेज बेचान नामा निरज के हक मे पेश किए गए है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी * सा.जि.डूंगरपुर (राज.)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ओर से दिनांक 24.10.2016 को वकालात नामा पेश कर प्रतिवादी की ओर से जवाब हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना न्यायालय के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में उन्होने कथन किया कि गांव भीलूडा के थाना व मावा दो भाई थे जिनके बीच में हुए बंटवारे में मौजा भीलूडा के खसरा नम्बर 664, 665, 666 व 667 की आराजी थाना के हिस्से में गई थी। जो थाना ने अपने हिस्से की आराजी को दिनांक 24.12.1949 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता दुर्गाशंकर पुत्र रूपरामजी ब्राहमण निवासी भीलूडा के पास रू. 250/– में गिरवी रखा था व इसके बाद उन्ही खेतों पर रू. 50/– पचास रू. ओर प्राप्त कर इन्हे कुल रू. 3,00/– तीन सौ रू. में दुर्गाशंकरजी को बाजाप्ता पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 04.10.1956 के विकय किया था तभी से इन खेतों पर स्व. दुर्गाशंकरजी का व उनके बाद उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा हैं। स्व. दुर्गाशंकरजी की कयशुदा भूमि को वक्त सेटलमेन्ट पूरी जॉच के बाद उनके हक में निष्पादित हुए विकय पत्र के आधार पर उनके खाते दर्ज की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने खाते की भूमि मेंसे कुछ भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को विकय किया है एवं दिनांक 13.3.2014 को कुछ भूमि आबादी में भी संपरिवर्तित कराई हैं। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं। जिससे उन्हे इसे अपने खाते दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं हैं। समय के साथ जमीन की किमते बढने से वादीगण की नियत खराब हो गई हैं एवं तब वे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के स्वामित्व एवं कब्जेदारी की भूमि हडपना चाहते हैं। इस कारण उनके द्वारा यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जावे।

पत्रावली में दिनांक 13.11.2017 को तनकीयात कायम कर घोषित की गई।

1–आया वादग्रस्त आराजीयात की रजिस्ट्री अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कर देने से उक्त सन् 1956 में किया गया विकय अन्तरण शुरू से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी होकर अवैध है तथा नामान्तकरण प्रतिवादी नं0 1 के पिता के बाद प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में खुल चुका है वह अवैध एवं निरस्तनीय होकर शुन्य है ?

(वादी)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... जि.डूंगरपुर (राज.)

2–आया स्व0दुर्गाशंकर जी की कय शुदा भूमि को वक्त सेटलमेण्ट पुरी जांच के बाद उनके हक में निष्पादित हुए विकय पत्र के आधार पर उनके खाते दर्ज की गई थी ?

(प्रतिवादी)

3–दारदसी ?

वादीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह बालजी एवं धनजी ने साक्ष्य दी एवं दस्तावेज नक्शा ट्रेस EX1, खतोनी आसामीवार संवत् 2001 से 2010 तक फर्द तुलनात्मक सवंत् 2022 EX 2, बन्दोबस्त संवत् 2022 EX 3, बन्दोबस्त संवत् 2027 EX 4 , खतोनी जमाबन्दी 2022 EX 5, दस्तावेज बेचान नामा खेत नंग 3 मानशंकर ने निरज को बेचा EX 6 ,दुर्गाशंकर ने थाना से खरीदा उसकी रजिस्ट्री की नकल जमाबन्दी EX 7, जमाबन्दी संवत् 2069–2072 EX 8, नामान्तकरण नकल EX 9 प्रदर्शित कराये गये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 मानशंकर ने साक्ष्य दी एवं दस्तावेज दुर्गाशंकर के हक में किया गया रहन नामा प्रर्दश ए 1 उसकी छायाप्रति प्रर्दश ए 1 ए, वादग्रस्त खेतों का दुर्गाशंकर के हक मे किया गया विकय पत्र प्रर्दश ए 2 जिसकी छायाप्रति ए 2 ए, सेटलमेंट विभाग को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रर्दश ए 3 जिसकी छाया प्रति ए 3 ए, सेटलमेण्ट विभाग के पर्चे प्रर्दश ए 4 जिसकी छायाप्रति प्रर्दश ए 4 ए, पर्चा लगान प्रर्दश ए 5 जिसकी छायाप्रति प्रर्दश ए 5 ए, भूप्रबन्ध विभाग का पर्चा नोटिस प्रर्दश ए 6 जिसकी छायाप्रति ए 6 ए को प्रदर्शित कराये गये।

दौराने वाद वादी संख्या 5 की मृत्यु होने से उसके कायम मुकाम को वाद में उसके स्थान पर पक्षकार बनाया गया। वकील वादी द्वारा कायम मुकाम वारिसान का वकालात नामा एवं संशोधित अनवान पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 20.08.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर समायत की गई। वकील वादी ने बहस में बताया गया कि राज0टीनेन्सी एक्ट 1955 लागु होने के बाद 04.10.1956 में रजिस्ट्री की गई। विकय के बाद नामान्तकरण हो गया एवं जमीन अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को नही हो सकती है, दुर्गाशंकर व उसके बाद की रजिस्ट्रीयॉ खारिज की जावे एवं वाद का निर्णय वादी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया। वही वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बहस में कहा कि उक्त आराजी दिनांक 04.10.1956 को जरूर खरीदी गयी लेकिन यह पहले से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के पास गिरवी थी एवं उसी का विकय किया गया है। धारा 42 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान दिनांक 01.05.1964 से लागु हुए उसके पहले के विकय पत्र पर यह लागु नहीं होता हैं। इस कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हैं। जब टेनेन्सी एक्ट लागू हुआ

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उस वक्त यह धारा नहीं थी। जब इसमें पहला संशोधन हुआ तब अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के हक में निष्पादित विकय पत्र को शुन्यकरणीय घोषित करने का विकल्प दिया गया। इसके बाद जब पुनः वर्ष 1964 में संशोधन हुआ तो ऐसे विकय पत्र को शुन्यकरणीय के स्थान पर प्रारम्भ से ही शुन्य घोषित किया गया।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में निम्न कानूनी विनिश्चय प्रस्तुत किये –

1. Supreme court of india civil appeal no 6741-6742 of 2012 state of raj v/s anjane orgnnic herbel pvt ltd
2. Ghanshayam and others v/s asha & anr appeal no 10 bharatpur decided 27 dec 2001.
3. High court gavshala sri karanpur v/s state &ors. S.B. civil writ petition no 1888 of 1995 decided on 27 nov 2000
4. State of rajasthan v/s kasha & ors. Appeal no 166/Udaipur of 97, decided on 3 september 2001.
5. State of rajasthan v/s dayaram reference no 87/ chiittorgarh oof 85 decided on 19 jan 1989.
6. Rodu & anr. v/s goriya & anr. –(171) revision no 120/s madhopur of 89 decided on 7th july 1994.

वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने जवाव के समर्थन में निम्न कानूनी विनिश्चय प्रस्तुत किये –

1. Sewalal v/s state of rajasthan D.B.C.W.P no 30 of 1976 decided on 09-05-1983
2. Jayprakash v/s board of revenue ajmer & ors. S.B civil writ petition no 3417 of 1997 decided on 18-09-2023.
3. Ramkaran (dead) though lrs. &ors. v/s state of rajasthan and ors. Civil appeal no 5853 of 2014(arising out of slp(c) no. 16638 of 2012) decided on 30-06-2014.
4. Banwarlal & ors. v/s logar & anr. Appeal/decree/ta/11499/2001/rajsamand, decided on 22-12-2011

तनकीयात पर निम्नानुसार निर्णय किया गया :–

1–आया वादग्रस्त आराजीयात की रजिस्ट्री अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कर देने से उक्त सन् 1956 में किया गया विकय अन्तरण शुरू से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी होकर अवैध है तथा नामान्तकरण प्रतिवादी नं0 1 के पिता के बाद प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में खुल चुका है वह अवैध एवं निरस्तनीय होकर शुन्य है ?

(वादी)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा जि. डूंगरपुर (राज.)

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। गवाह पी. डब्ल्यू –1 वालजी ने अपनी जिरह मे बताया कि मेरी उम्र 55 वर्ष की है, मेरे दादा थाना की मृत्यु 15–20 वर्ष हुए है किन–किन खेतों का विवाद है, उनका खसरा नं0 मुझे याद नही है क्यो कि तीन बार नम्बर बदल चुके है मावा मेरे दादा थाना के भाई थे, मैं मीलुडा के रगणलाल पिता हरिलाल भट्ट को नही पहचानता था मैंने मानशंकर के पिता दुर्गाशंकर को देखा है उनकी मृत्यु कब हुई मुझे पता नही है। मैं मजदुरी व कृषि कार्य करता हूँ। मेरे खाते में दो बिघा सत्रह बिस्वा जमीन है। दुर्गा शंकर जी ने जाल साजी कर रजिस्ट्री कराई गई है मानशंकर ने जब हम वादग्रस्त जमीन जब हम पर बाड कर रहे थे तब पुलिस की मदद से हमको पकडवाया व हमको पाबन्द कराया व स्वंय ने बाड कर दी यह कहना सही है कि मानशंकर हमको वादग्रस्त खेतो पर नही जाने देता है इसलिए हमको यह दावा करना पडा दुर्गाशंकर ने वर्ष 1956 में थाना से रजिस्ट्री करवायी थी, अज खुद वहा मेरे दादा के रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर फर्जी है, विस्तृत बयान शामिल पत्रावली है तथा दिनांक 09.12.2019 को धनजी पिता थाना रोत निवासी मीलुडा के बयान कराये गये जो कि शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी मानशंकर के दिनांक 31.01.2022 को बयान लेखबद्ध किये गये। अपनी जिरह में प्रतिवादी मानशंकर ने वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद का विरोध करते हुए कहा गया कि उक्त आराजीयात उसके पिता के पास गिरवी थी जिसकी रजिस्ट्री उनके हक में दिनांक 04.10.1956 को नियमानुसार की गई हैं एवं खेतों पर मेरा ही कब्जा हैं। वादीगण अनाधिकृत रुप से उसकी जमीन को हडपना चाहते हैं।

वकील पक्षकारान् के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कानूनी विनिश्चयों का विवेचन किया गया।

माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय में यह माना हैं कि धारा 42 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के संशोधित प्रावधान जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को प्रारम्भ से ही शुन्य घोषित किया गया हैं यह प्रावधान दिनांक 01.05.1964 से पूर्व के विक्रय पत्र पर लागु नही होता हैं। इस कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नही हैं।

इसके प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हक में निश्पादित विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1956 पर धारा 42 बी के प्रावधान लागु नही होते हैं। उक्त कानूनी विनिश्चय में परिपेक्ष में तनकी संख्या 1 विरुद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 निर्णित की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी * सागवाड़ा जि. डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

2–आया स्व0दुर्गाशंकर जी की कय शुदा भूमि को वक्त सेटलमेण्ट पुरी जांच के बाद उनके हक में निष्पादित हुए विकय पत्र के आधार पर उनके खाते दर्ज की गई थी ?

(प्रतिवादी)

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हुआ हैं एवं तनकी संख्या 1 व 2 दोनो एक दूसरे से सम्बंधित हैं। इस कारण तनकी संख्या 1 के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या 2 बहक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा सेटलेमेन्ट विभाग को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रर्दश ए 3 ए व दुर्गाशंकर के हक में निष्पादित विकय पत्र एवं सेटलमेन्ट के पर्चे आदि दस्तावेजो से भी इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं।

इस प्रकार से तनकी के निर्णय से यह न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल रहे हैं।

आदेश

तनकी संख्या 1 व 2 का वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादीगण का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण होने से खारिज किया जाता हैं। डिकी पर्चा पृथक से मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान् अपना – अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10/9/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर होवे।

(सुबोध सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा मुकाम – सागवाड़ा

बईजलास – श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा

370/2016 (वाद)

अनवान

1–श्री वालजी पिता रतना भीणा जाति भील उम्र बालिंग वगैराह–6 निवासी भीलुडा (वादीगण)

बनाम

1–श्री मानशंकर पिता दूर्गाशंकर जाति ब्राहमण उम्र व्यस्क वगैराह 4 निवासी भीलुडा।

2–तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर (प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री अशोककुमार कंसारा

वकील प्रतिवादीगण– श्री मयंक दोसी

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 41,42,42(ख),88,188,209

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण होने से खारिज किया जाता हैं।

नीज .....मुबलिग.....बाबत .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक .....का अदा करे । बराबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10 मास 09 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

मुद्धई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)

बाबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ सागवाड़ा, जि. डूँगरपुर (राज.)